

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर या  
अहकाम  
हुकम की  
सें जारी

6<sup>4</sup>/<sub>18</sub>

पत्रावली पेश हुई। गलनाच सप.  
अनुपस्थित / पेशकारी  
दिनांक-25/4/18 का पेश हो

25<sup>04</sup>/<sub>18</sub>

पत्रावली पेश हुई। गलनाच सप.  
अनुपस्थित / पेशकारी  
पत्रावली  
दिनांक-15-05-2018 का पेश हो

15<sup>05</sup>/<sub>18</sub>

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान  
न्याय आपके दवा-2018 में रखे जाने  
योग्य पायी जाने पर कैम्प स्थल अटल  
सेवा केंद्र भादवाडी में पेश है। 14-06-2018

14<sup>06</sup>/<sub>18</sub>


पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत उपस्थित; न्याय  
आपके दवा-2018 के तहत कैम्प स्थल अटल  
सेवा केंद्र भादवाडी में पेश है। वकील वकील  
ने हजिर होकर प्रतापिका राजीनामा दावा डिक्ले  
फजाया जाने का निवेदन किया। वकील वकील  
के निवेदन पर श्रेणी तहसीलदार टुंडेला ने  
कोर्ट आपसे जाहिर नहीं की।



पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड  
व पेशशुदा राजीनामा का अवलोकन किया गया  
जिनके अवलोकन से एवं लोक अदालत की  
पधना से वकील का वाद स्वीकार किया जाने  
योग्य पाया जाने पर स्वीकार किया जाता है।  
तथा घोषणा इस आशय की जारी की जाती है कि:-

उद्देश

तन ग्राम माधोकावास तहसील टुंडेला जिला  
सीकर राज. अवस्थित कृषि श्रेणी ख. नं. 274

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
<p> लम्बा 1.47 हे. में प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा से प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम हजफ किया जाकर वादी नं. 1 ता 3 को उक्त हिस्से का छातेदार काश्तकार घोषित किया जात है। तथा कृषि भूमि ख. नं. 102, 102/296 लम्बा 1.23 हे. में वादीगण के नाम दर्ज 1/4 हिस्से से वादीगण का नाम हजफ किया जाकर प्रतिवादी नं. 1 व 2 को छातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा भूमि ख. नं. 80, 81, 103 लम्बा 3.08 हे. में वादीगण के नाम 1/4 हिस्सा से वादीगण का नाम हजफ किया जाकर उक्त हिस्से का प्रतिवादी सं. 1 व 2 को छातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में उमल दलमद हो। तनुसार पर्चा डिफ्री जारी हो। प्रशासकी कैंसल शुगाए ठेकर नम्बर है कात हो तथा वाद तकरील दाखिल दफ्तार हो। निर्णय पत्रमें आम सुनाया गया। </p> <p style="text-align: center;">   14/6/18  <b>बाजीरब शाह</b>  (RAS)  सहायक कलक्टर  (फास्ट ट्रेक) सुपडेली </p>	

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), खण्डेला, (सीकर)

(पीठारीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

आज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक मुकाम खण्डेला

पीठारीन अधिकारी:- श्री भागीरथ शाख, RAS

उपनाम

① सुनतात \* बनाम ② भंवर सिंह \*

दावा बाबत घोषणा, दुकाली रिकार्ड, स्पष्ट निर्दिष्टता

मुकदमा नम्बर :- 21/2018

निर्णय दिनांक :- 14/06/18

यह मुकदमा आज वारंते इन्फिराल कतई रुबरू श्री भागीरथ शाख, RAS व हाजिरी

मिनजानिब मुददई रुबरू श्री रामावता बिजाविमां

मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

तत ग्राम मधोलाबास तहसील खण्डेला जिला सीकर राज. अस्मिन् कृषि भूमि ख. नं. 274 कब्जा 1.47 हे. में प्रतिवारी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज 1/2 हिस्से वे अतिवारी सं. 1 व 2 का नाम हजफ किया जाऊ वारी नं. 1 व 3 को उक्त हिस्से का खातेदा कारतला घोषित किया जाता है तथा कृषि भूमि ख. नं. 102, 102/296 कब्जा 1.23 हे. में वारीगण के नाम दर्ज 1/4 हिस्से से वारीगण का नाम हजफ किया जाऊ प्रतिवारी नं. 1 व 2 को उक्त हिस्से का खातेदा कारतला घोषित किया जाता है तथा \*

खर्चा पक्षकारान्त अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज दिनांक 14/06/18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(भागीरथ शाख)  
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)  
खण्डेला (सीकर)  
सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रैक) खण्डेला

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 ..... रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	

\* ① शीराम ② बलबीर पुत्रगण भग्गु जाति जाट  
निवासी माथोकवास तहसील छंडेला जिला सीकर राज.)

-बाड़ीगण

बनाम



\* ② सुमेरसिंह पुत्रगण पुजनीसिंह जाति राजपूत  
निवासी माथोकवास तहसील छंडेला जिला सीकर राज.)

③ श्रीमिथारी तहसीलद्वारा छंडेला ।

-प्रतिवादीगण

\* श्रीमि अ. नं. 80, 81, 103 एका 3.08 हे. में बाड़ीगण के  
नाम 1/4 हिस्सा से बाड़ीगण का नाम हजफ किया जाकर उक्त  
हिस्से का प्रतिवादी सं. 1 व 2 को उत्तरदार कायतकार घोषित  
किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में उमल  
दरामद हों।

14/01/18  
सहायक शाख  
(RAS)  
सहायक कलेक्टर  
(फास्ट ट्रेक) जयपुर